उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-17/2018/1224 (4)/60-3-2018-3(21)/97

लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2018

अधिसूचना

उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2 के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-1094, 1094(2), 1094(5), 1094(6)/60-3-2017-3(21)/97, दिनांक 04.08.2017, द्वारा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों को उनके कार्यकाल समाप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक उ0प्र0 राज्य महिला आयोग का सदस्य नामित करते हैं:-

क्र0	नाम/जनपद
1.	श्रीमती प्रियंवदा तोमर, शामली।
2.	श्रीमती अनीता सिंह, इलाहाबाद।
3.	श्रीमती सुमन चतुर्वेदी, फिरोजाबाद।
4.	श्रीमती इन्द्रवास सिंह, बस्ती।

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1224 (5)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, लखनऊ।

2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उ0प्र0।

4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।

6- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

7- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

8- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

9- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।

10- प्रमुख सचिव, गृह/गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।

13- सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।

14- सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।15- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को इस अनुरोध कि साथ कि वे कृपया मा0 सदस्य को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

16- सम्बन्धित नामित सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17- महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

18- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।